अध्याय पाँचः वाहनों पर कर

5.1 कर प्रशासन

मोटरयानों पर कर के उद्ग्रहण पर प्रशासन शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता हैं जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अतिरिक्त प.आ., एक सहायक आयुक्त एवं एक उप संचालक (वित्त) होते हैं। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ) दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) और 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते हैं। इसके अतिरिक्त 10 जांच चौकी सबंधित क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में कार्यरत हैं।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण जो कानूनी, नियमों और विभागीय निर्देशों के समुचित प्रवर्तन के उचित आश्वासन प्रदान करते हैं एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमिततओं की रोकथाम में मदद करते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन को निर्धारित प्रणालियों के अनुपालन आश्वस्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

हमने देखा कि एक स्वीकृत पद के विरूद्ध, वर्ष 2013-14 में आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा में एक अधिकारी पदस्थापित था। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु 17 चयनित इकाइयों में से 11 इकाइयो की लेखा परीक्षा की गई।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013-14 में हमने परिवहन विभाग के 20 इकाइयों में से नौ इकाइयों जिसमे परिवहन आयुक्त (व्यय) भी सम्मिलित हैं के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें ₹ 6.13 करोड़ के 1,10,930 प्रकरणों में व्यापार कर का कम उद्ग्रहण, कर और शास्ति का उद्ग्रहण न होना तथा अन्य अनियमितताएं पायी गयी जो निम्नानुसार **तालिका 5.1** में श्रेणीवार वर्गीकृत हैः

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	व्यापार कर/व्यापार फीस की कम वसूली	1,09,034	2.79
2.	कर एवं शास्ति की कम वसूली	1,647	3.23
3.	अन्य अनियमितताएं	249	0.11
योग		**1,10,930**	**6.13**

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए समस्त प्रकरणो को मान्य किया किन्तु कोई वसूली नहीं की गई।

राशि ₹ 4.69 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में दिये गए हैं।

5.4 व्यापार प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर फीस की अवसूली/कम वसूली

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए। व्यापार फीस ₹ 50 प्रति मोटर साइकल/मोपेड और ₹ 200 प्रति अन्य वाहन की दर से आरोपणीय हैं।

चार परिवहन कार्यालयों[1] के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) में हमने पाया कि 2010-11 से 2012-13 के मध्य 78,271 मोटर साईकल/मोपेड और 19,364 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए थे। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 77.86 लाख व्यापार फीस वसूलनीय थी। कन्तु क्षे.प.अ. बिलासपुर जि.प.अ. बैकुंठपुर और जशपुर द्वारा मात्र ₹ 1.11 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया, जि.प.अ. रायगढ़ द्वारा कोई व्यापार फीस आरोपित और संग्रहीत नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹ 76.75 लाख के व्यापार फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ। (**परिशिष्ट *5.1***).

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2013 और अक्तूबर 2013 के मध्य) विभाग ने उत्तर दिया कि ₹ 2.58 लाख की वसूली की गई हैं।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

समान प्रकरण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.9 तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 5.10 में प्रतिवेदित किया गया था और विभाग द्वारा कंडिका 5.10 के संदर्भ में ₹ 35.66 लाख की वसूली की थी तथा शेष में वसूली की कार्यवाही प्रगति पर हैं, किन्तु विभाग में यही समान अनियमिताएँ पुनः पाई जा रही हैं। इसलिए शासन को चाहिए की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.5 यात्री यान एवं माल यान के स्वामियों से कर की अवसूली

छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 एवं 5 के अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए हैं पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यात्री यान के संबंध में मासिक कर तथा माल यान/ट्रक और मेक्सी कैब हेतु त्रैमासिक रूप से कर आरोपणीय हैं। पुन, यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया हैं तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किन्तु रकम से अनधिक ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार अधिरोपित की गई हैं। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता हैं तो कराधान अधिकारी को चाहिए कि मांग पत्र जारी कर राशि को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करे। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को ऑफ रोड

[1] क्षे.प.अ. बिलासपुर, जि.प.अ. बैकुंठपुर, जशपुर और रायगढ़

रखना चाहता हैं तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप "ट" में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

हमने सात परिवहन कार्यालयों[2] जिसमे 71,764 पंजीकृत यान थे के मांग एवं जमा पंजी की नमूना जांच अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 के मध्य की तथा पाया कि नमूना जाँच के 9,722 यानों में से 780 यानों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2103 तक का यान कर ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 5.2**)। इन वाहन स्वामियाँ द्वारा ऑफ रोड घोषणापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बावजूद क्षे.प.अ. और जि.प.अ. द्वारा इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के कर की वसूली नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त कर के असंदत राशि पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा की ₹ 61.71 लाख की वसूली गई हैं तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रगति पर हैं वसूली की जानकारी अपेक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदत किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि इसी प्रकार की अनियमितता 31 मार्च 2012 को समाप्त हुये वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखापरीक्षा कंडिका क्र. 5.10.1 और 31 मार्च 2013 को समाप्त हुये वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखापरीक्षा कंडिका क्र. 5.11 में सम्मिलित की गई थी तथा विभाग ने ₹ 60.58 लाख की वसूली की थी और शेष वसूली की कार्यवाही प्रगति पर थी, किन्तु विभाग में यही समान अनियमितता पुनः पाई जा रही हैं। इसलिए शासन को चाहिए की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.6 वाहन कर का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यात्री यान के प्रत्येक स्वामी पर उसके द्वारा राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए यान पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सरल क्रमांक 4 पर अंकित दरों के अनुसार कर आरोपणीय हैं। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किन्तु रकम से अनधिक ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार अधिरोपित की गई हैं। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता हैं तो कराधान अधिकारी को चाहिए कि मांग-पत्र जारी कर राशि को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करे।

---

[2] क्षे.प.अ. अम्बिकापुर, बिलासपुर और रायपुर, जि.प.अ. बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और रायगढ़

क्षे.प.अ. बिलासपुर एवं जि.प.अ. रायगढ़ के कराधान अभिलेखों की अप्रैल 2013 से अगस्त 2013 के की गई नमूना जांच में हमने पाया कि 1,361 यान पंजीकृत थे। इसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 64 यानों की नमूना जांच की गईं तथा 12 प्रकरणों में पाया गया की इन यानों द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के मध्य तय की गई दूरी के अनुपात में करारोपण न किया जाकर ₹ 28.05 लाख का एकमुश्त करारोपण बगैर किसी आधार पर किया गया था। इन यानों के द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी के अनुसार यान स्वामियों पर ₹ 34.26 लाख का कर आरोपणीय था परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 6.21 लाख का कम आरोपण हुआ (**परिशिष्ट 5.3**)। इसके अतिरिक्त अदेय राशि पर राशि पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2014) में कहा कि, एक प्रकरण में ₹ 4,800 की वसूली की गई हैं। शेष प्रकरणों में उत्तर अपेक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2014)।

5.7 व्यापार कर की कम वसूली

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 4 सहपठित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 33 के अनुसार व्यवसायियों जिसे मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं वह अपने व्यापार के अनुक्रम में अपने कब्जें में रखे गए वाहनों के संदर्भ में व्यापार कर का भुगतान करेगा। पुनः छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम की तृतीय अनुसूची में व्यवसायियों के कब्जे में उनके व्यापार के अनुक्रम में रखे गए प्रथम सात वाहन एवं सात वाहन के लाट के लिए व्यापार कर की दर निर्धारित हैं। केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 43 (1) अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र के प्रत्येक धारक को दोहरी प्रति में एक रजिस्टर फॉर्म 19 में संधारित करना होगा जो कि एक सजिल्द पुस्तक होगी एवं पन्ने एक क्रम से होगे। आगे नियम 43 के उप नियम 3 के अनुसार रजिस्टर एवं दोहरी प्रति पंजीयन अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

चार परिवहन कार्यालयों[3] के व्यापार कर पंजी की अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य की गई नमूना जांच में हमने पाया कि आटोमोबाइल व्यवसायी द्वारा अपने सबंधित परिवहन अधिकारियों से व्यापार पत्र प्राप्त किया था। तथापि हमने पाया कि परिवहन अधिकारियों के पास व्यवसायियाँ के कब्जे में रखे वाहनों के सबंध में कोई अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था परिणामस्वरूप व्यवसायियों के पास रखे वाहनों की वास्तविक संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। व्यवसायियों द्वारा इस सबंध न तो काई विवरणी प्रस्तुत की, न ही विभाग द्वारा विवरणी प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की और देय कर की वसूली की। किन्तु लेखा परीक्षित अवधि (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) में विभिन्न श्रेणी के 90,549 वाहन पंजीकृत किए गए थे (**परिशिष्ट 5.4**)। इन पंजीयन कार्यालयों में पंजीकृत वाहनो के आधार पर ₹ 1.57 करोड़ व्यापार कर व्यवसायियों से

[3] क्षे.प.अ. बिलासपुर, जि.प.अ बैकुठपुर, जशपुर और रायगढ़

वसूलनीय था। इसके विरूद्ध मात्र ₹ 4.97 लाख का व्यापार कर आरोपित किया गया एवं वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के व्यापार कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य) विभाग ने कहा कि राशि ₹ 5.36 लाख की वसूली की गई।

हमने प्रकरण को शासन के अभिमत हेतु प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013); उनका उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।